कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-05.06.2024

विषयः- **"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मंडुवाडीह में दहेज हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड।**

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-219/2019 धारा 304बी,498ए भा0द0वि0 व 4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. चन्दन विश्वकर्मा पुत्र रमाकान्त 2. रमाकान्त पुत्र सत्यनारायण व 3. ज्ञान्ती देवी पत्नी रमाकान्त निवासीगण भुल्लनपुर नई बस्ती थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-05.06.2024 को माननीय न्यायालय ACC मेन/ UPSEB जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 498ए भा0द0वि0 मे 02-02 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 304बी भा0द0वि0 मे 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 4 डी0पी0 एक्ट में 01-01 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।